न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रकाश चन्द पवन
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
01/निगरानी/2015	04.02.2015	30.03.2017

रमेश आ0 कस्तूरा जाति माली निवासी ग्राम छोटी पड़ाप, तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0) – निगराकार

– बनाम –

1. राजेश कुमार श्रृंगी आ0 सोहन लाल श्रृंगी जाति ब्राहमण निवासी श्रृंगी मैरिज हॉल बाईपास रोड़ नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. ग्राम पंचायत रजलावता जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

– गैरनिगराकार

निगरानी निरस्त किये जाने आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 05.08.1997 ग्राम पंचायत रजलावता
निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम।

उपस्थित :–

1. निगराकार की ओर से :– श्री नवेद केसर, अभिभाषक।
2. गैर निगराकार 01 की ओर से :– श्री रणवीर सिंह, अभिभाषक।
3. गैर निगराकार 02 की ओर से :– एकतरफा कार्यवाही।

–: निर्णय :–

यह निगरानी निगराकार द्वारा अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। निगरानी में गैर निगराकार को जारी भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 05.08.1997 ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया को निरस्त करने हेतु पेश की गई।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगराकर तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब करने हेतु लिखा गया। गैर निगराकार क्र. सं. 02 ग्राम पंचायत उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्व एकतरफ कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक निगराकार ने बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम पंचायत रजलावता द्वारा दिनांक 15.08.1997 को गैर निगराकार को आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) पूर्व से पश्चिम 30 फीट व उत्तर से दक्षिण 60 फीट वाके ग्राम छोटी पड़ाप में आवंटित किया गया था। उक्त विवादित भूखण्ड पर उसकी किसी जगह पर गैर निगराकार का कब्जा नहीं था। उक्त विवादित भूखण्ड पर निगराकार का ही कब्जा था तथा एक कमरा बनाकर चाय की दुकान थी एवं उसके समीप एक कमरे का निर्माण करवाने के लिये नीवं भरवाकर चद्दर डालकर जानवर बांधने के लिये टपरी व बाड़ा बनाया हुआ था। निगराकार का उक्त विवादित भूखण्ड पर पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा था। जिसका ग्राम पंचायत के द्वारा गैर कानूनी ढंग से पट्टा जारी कर दिया गया जो निरस्तनीय है क्योंकि गैर निगराकार ग्राम छोटी पड़ाप का निवासी नहीं है, कस्बा नैनवां का निवासी है। गैर निगराकार ने ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत करके उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा बनवाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत राज अधिनियम की कोई पालना नहीं की गई है। पट्टा दिनांक 15.08.1997 को जारी किया गया है। जिसका पंजीयन दिनांक 22.01.2000 को ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत करके गुपचुप तरीके से करवाया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकृत कर गैर निगराकार को जारी भूखण्ड विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 15.08.1997 निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक गैर निगराकार ने अपने प्रस्तुत जवाब दिनांक 30.06.2015 को दोहराते हुये अपने तर्क प्रस्तुत किये कि विक्रय विलेख (पट्टा) कानूनी सही एवं नियमानुसार गैर निगराकर ने ग्राम पंचायत के सरपंच से प्राप्त किया है। गैर निगराकार ग्राम छोटी पड़ाप का निवासी है। अस्थाई तौर पर कस्बा नैनवां में निवास करता है। ग्राम छोटी पड़ाप कस्बा नैनवां के समीप है। विक्रय विलेख (पट्टा) ग्राम पंचायत द्वारा जारी करने से पूर्व सभी विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। उक्त विवादित विक्रय विलेख के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय, नैनवां में वाद विचाराधीन चल रहा है। उक्त विवादित भूखण्ड के विक्रय विलेख का अन्तिम निर्णय सिविल न्यायालय में होना है। निगराकार द्वारा निगरानी 18 वर्ष बाद पेश की गई है जो अवधि बाधित है। अतः निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जाकर भूखण्ड विक्रय विलेख (पट्टा) बहाल रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत से विवादित भूखण्ड के विक्रय विलेख (पट्टा) की मूल पत्रावली तलब की गई तो अधीनस्थ न्यायालय ग्राम

पंचायत ने पत्र क्रमांक दिनांक 25.03.2015 से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं किया गया है तथा तत्कालीन सरपंच श्री प्रहलाद नागर से भी ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी की गई तो तत्कालीन सरपंच श्री प्रहलाद नागर ने भी बताया कि उसके द्वारा कोई भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) राजेश आ0 सोहन लाल श्रृंगी के नाम जारी नहीं किया गया है।

उक्त विवादित भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में कोई पत्रावली संधारित नहीं हुई है न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है। स्वयं निगराकर ने निगरानी के साथ भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) की प्रमाणित प्रति पेश नहीं करके छायाप्रति (फोटोकॉपी) पेश की गई है। फोटो कॉपी कहां से प्राप्त की गई है, निगरानी में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिससे भी यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विवादित विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रतिलिपि श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां रमेश बनाम प्रहलाद वगै0 किस्म मुकदमा एफ.आर. प्रकरण सं.–54/2014 एफ.आई.आर. संख्या 84/2013 आदेश दिनांक 04.07.2015 के अनुसार तत्कालीन सरपंच श्री प्रहलाद नागर तथा गैर निगराकार श्री राजेश के विरूद्व धारा 420, 467, 468 सपठित धारा 120 भा.द.सं. का अपराध कारित होने से उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर उक्त सरपंच व गैर निगराकार के विरूद्व गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये है। उक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं किया गया है। सिविल न्यायालय में भी ग्राम पंचायत ने भूखण्ड विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं करना स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई भूखण्ड विक्रय विलेख (पट्टा) जारी नहीं किया गया है तो उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा स्वतः ही निरस्त है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा उक्त भूखण्ड विक्रय विलेख (पट्टा) निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)